परिपत्र संख्या 03/2014

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–I/ 4344 दिनांक : 12/3/14

परिपत्र

विषय : विभाग के महत्वपूर्ण परिपत्रों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के ध्यान में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभाग के द्वारा जारी परिपत्रों/दिशा–निर्देशों की समुचित पालना नहीं की जा रही है। विभाग के परिपत्रों की पालना नहीं किये जाने से कार्य में कई प्रकार की अनियमितताएं होने तथा राजस्व हानि होने की संभावना रहती है। विभाग द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। इन परिपत्रों की लगातार मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है, ताकि इनकी पालना के अभाव में राजस्व हानि नहीं हो।

इस संबंध में अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को निर्देश दिये जाते है कि अपने–अपने वृत्त में स्थित समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में नीचे उल्लेखित परिपत्रों की पालना की लगातार मॉनिटरिंग करें तथा उनके द्वारा की जा रही पालना की स्थिति से मुख्यालय को प्रत्येक तिमाही समाप्ति के पश्चात्, 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 10 अक्टूबर तथा 10 जनवरी तक आवश्यक रूप से निम्नलिखित परिपत्रों के सामने कॉलम संख्या–4 में उल्लेखित निर्देशों की पालना की स्थिति विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	परिपत्र/पत्र संख्या एवं दिनांक	विषय	मॉनिटरिंग की स्थिति जो वृत्ताधिकारियों द्वारा मुख्यालय को भिजवाई जायेगी।
1	2	3	4
1	2/04 (पंजीयन मार्गदर्शिका, 2004) 1 एवं 2/09 (पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009) 27/10 दिनांक 01.09.10	भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य का निर्धारण तथा निर्माण या निर्मित क्षेत्र के मूल्यांकन के संबंध में।	क्या आपके वृत्त के उप पंजीयकों द्वारा भूमि का मूल्यांकन उसकी किस्म एवं निर्धारित दर के अनुसार किया जा रहा है तथा निर्माण का मूल्यांकन निर्धारित दर के अनुसार ही किया जा रहा है और यदि नहीं, तो आप द्वारा ऐसे कितने प्रकरण गत तिमाही में चिन्हित किये गये ?
2	3/10 दिनांक 15.01.10 5/10 दिनांक 09.02.10 6/10 दिनांक 23.02.10	पॉवर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण तथा पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में।	परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के तहत उप पंजीयकों द्वारा पॉवर ऑफ अटॉर्नी की जॉच की जा रही है, यदि नहीं तो कितने मामलों में आप द्वारा परिपत्रों की अवहेलना पायी गयी ?
3	24/10 दिनांक 27.08.10	आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों/फ्लैटों के अधीन भूमि की मालियत की गणना की दरें निर्धारित करने के संबंध में।	बहुमंजिला इमारतों की दर डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित नहीं होने की अवस्था में क्या परिपत्र के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है ?
4	25/10 दिनांक 31.08.10	पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों/दस्तावेजों के न्याय निर्णयन एवं निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में।	पूर्ण मुद्रांकन के प्रकरणों में क्या आपके द्वारा परिपत्र में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना की जा रही है ?
5	26/10 दिनांक 31.08.10	लोक कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण के संबंध में।	आप द्वारा एवं आपके उप पंजीयकों द्वारा कितने लोक कार्यालयों का निरीक्षण तिमाही में किया गया तथा इन कार्यालयों में कितने मामले मुद्रांक शुल्क की कमी के पाये गये तथा आप द्वारा कितने प्रकरण दर्ज किये गये ?
6	35/10 दिनांक 01.11.10	नोटेरी के द्वारा नोटेरी कार्य के निष्पादन के संबंध में संधारित रजिस्टर का निरीक्षण करने के संबंध में।	नोटेरी द्वारा संधारित रजिस्टर की जाँच कितने मामलों में की गई तथा उनमें क्या अनियमितताएँ पायी गयी ?

7	36/10 दिनांक 01.11.10	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ रेफरेन्स करने के संबंध में।	क्या उप पंजीयकों द्वारा किये जाने वाले रेफरेन्स विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही किये जा रहे है?. तिमाही में कितने प्रकरण आप द्वारा दर्ज किये गये?
8	07/11 दिनांक 26.04.11	स्टाम्प वेण्डर द्वारा उल्लेखित स्टाम्प क्रय से संबंधित विवरण की जाँच व उसका दस्तावेज में अंकन तथा डीड राईटर्स के द्वारा अनुज्ञा पत्र संख्या/प्राप्त फीस आदि की सूचना का दस्तावेज में अंकन करवाना।	स्टाम्प वेण्डर एवं डीडराईटर द्वारा क्या परिपत्र के प्रावधानों की पालना की जा रही हैं? और यदि नहीं तो कितने मामलों में अनियमितता पायी गयी और आप द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?
9	19/10 दिनांक 05.07.10	विभिन्न न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने, प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने एवं निर्णयोंपरान्त कार्यवाही करने बाबत्।	अधीनस्थ न्यायालय/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लम्बित वाद/ रिट जिनमें आप प्रभारी नियुक्त है, त्रैमास में ऐसे कितने मामलें प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने मामलों में जवाब प्रस्तुत किये गये/ निर्णयोपरान्त आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
10	03/11 दिनांक 30.03.11 तथा पत्रांक एफ.1(44)(3) लेखा/बजट/रा.रि./ विविध/11-12/672-685 दिनांक 17.07.12	स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क व न्याय शुल्क की रिफण्ड प्रक्रिया/चैक लिस्ट/प्रार्थना पत्र निस्तारण की समय-सीमा के संबंध में।	त्रैमास में कितने प्रकरण आपके यहाँ प्रस्तुत हुए, और कितने मामलों में आप द्वारा निर्धारित अवधि में रिफण्ड किया गया?
11	04/11 दिनांक 31.03.11	रोकड़ संबंधी अभिलेख/पंजीयन प्रक्रिया से संबंधित रजिस्टरों के संधारण के क्रम में।	क्या रोकड़ संबंधी अभिलेख नियमानुसार संधारित किया जा रहा है?
12	02/13 दिनांक 05.02.13	पंजीयन प्रक्रिया की 8 चरणीय प्रणाली की समुचित पालना।	क्या पंजीयन प्रक्रिया की 8 चरणीय प्रणाली की समुचित पालना की जा रही है?
13	11/13 दिनांक 28.06.13	उप पंजीयक एवं पंजीयन लिपिकों के दायित्व का निर्धारण करना।	क्या उप पंजीयक/पंजीयन लिपिकों का अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण किया जा रहा है?
14	आदेश क्रमांक एफ.7(93) जन/13/13342 दिनांक 31.07.13	उप पंजीयक कार्यालयों में पदस्थापित गिरदावरों से मौका निरीक्षण करवाने तथा पुरानी बकाया की वसूली/कुर्की का कार्य करवाने के संबंध में।	जिन उप पंजीयक कार्यालयों में गिरदावर नियुक्त है, उनके द्वारा त्रैमास में कितने मौका निरीक्षण किये गये तथा कितने मामलों में अनियमितताएं पायी गयी? कितने मामलों में वसूली/कुर्की की कार्यवाही की गई?
15	पत्रांक एफ.2( )सूचना का अधि./मार्गदर्शन/502-875 दिनांक 20.12.11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदक को सूचना प्रदान करने, सूचना शुल्क वसूलने एवं मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश।	त्रैमास में सूचना के अधिकार के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों में उत्तर दिया गया तथा कितने शेष रहे?
16	23/10 दिनांक 06.08.10 एवं 02/14 दि. 05.02.14	दस्तावेज के साथ चैकलिस्ट को पूर्णरूप से भरवाकर लिया जाना तथा उसे दस्तावेज का भाग बनाना	क्या, दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जा रही चैकलिस्ट पूर्ण रूप से एवं स्पष्टतया भरी हुई ली जा रही है? क्या चैकलिस्ट को दस्तावेज की कार्यालय प्रति के साथ सुरक्षित रखा जा रहा है?
17	01/14 दि. 13.01.14	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-56 में किये गये संशोधन के अनुसार सम्पत्ति पर बकाया राशि का इन्द्राज, विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली सूची तथा संबंधित निकायों तथा तहसीलादर के रिकॉर्ड में करने की कार्यवाही के संबंध में।	क्या परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों की पालना की जा रही है?
18	14/09 (मार्गदर्शिका, 2009)	पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की सुरक्षा, पंजीबद्ध अभिलेख बाहर ले जाने, पंजीयन अभिलेख को सुरक्षित रखने, नष्ट करने, पंजीयन अभिलेख के संधारण तथा निरीक्षण, तलाशी व प्रमाणित प्रतिलिपि देने के संबंध में।	परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के तहत रिकॉर्ड का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं?

अतिरिक्त महानिरीक्षक जयपुर, अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर एवं समस्त उप महनिरीक्षकगण राजस्थान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी उपरोक्त परिपत्रों की पालना की स्थिति का अंकन करें।

12.03.14

(एल.एन. सोनी)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

12/3/14

क्रमांक : एफ–7(39)जन/ 2013/पार्ट–I/ 4345-4836 दिनांक : 12/3/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान को पालनार्थ।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

12/3/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

12/3/14